तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/114/2003/जयपुर** **बिरदीचन्द व अन्य बनाम रामलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री आर0डी0 मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
श्री हेमन्त सोगानी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

——

निर्णय

दिनांकः—28.07.2023

प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 5/2001 में पारित निर्णय दिनांक 17—10—2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अप्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद सहायक जिलाधीश, चौमू के न्यायालय में प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर में अवस्थित वादग्रस्त आराजीयात् बाबत् राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाते हुए घोषणा खातेदारी, रिकार्ड दुरूस्ती व विभाजन हेतु प्रस्तुत किया तथा साथ ही धारा 212 का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का निवेदन किया। जिसे न्यायालय सहायक जिलाधीश, चौमू ने अपने आदेश दिनांक 26.12.2000 द्वारा भारसाधक पुलिस थाना चौमू को आराजी खसरा नंबर 238 व 21 पर रिसीवर नियुक्त कर दिया था ही यह निर्देश दिए कि दोनों खसरा नंबर का कब्जा राज लेकर, तहसीलदार चौमू से संपर्क कर, रिसीवरी भूमि की काश्त की नियमानुसार व्यवस्था करें। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष पेश की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.10.2002 द्वारा खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/114/2003/जयपुर** **बिरदीचन्द व अन्य बनाम रामलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान सहायक कलक्टर ने विवादग्रस्त भूमि जिसके की प्रार्थीगण सहखातेदार है एवं काबिज है पर रिसीवर नियुक्त कर अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग किया है। प्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि पर स्वत्व अधिकार भी रखते है और काबिज भी है। स्वयं वादीगण ने प्रार्थीगण को विवादग्रस्त भूमि का खातेदार होना माना है एवं भूमि का वाहमी विभाजन होना भी अपने वाद में माना है। अपीलीय न्यायालय ने वादीगण द्वारा अपने वाद व प्रार्थना पत्र में कहे गए पित एण्ड सबस्टेन्स एवं प्रार्थीगण के स्वत्व अधिकार को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र बाबत् नियुक्ति रिसीवर में ऐसे कोई कारण नहीं दर्शाए जिससे यह साबित होता हो कि इन दोनों खसरा नंबर पर रिसीवर कायम करना अतिआवश्यक हो गया हो। वादीगण ने अपने वाद में केवल यह कथन किया है कि प्रार्थीगण के पिता नानगराम ने पक्षकारान के मध्य हुए वाहमी बंटवारा से अधिक भूमि राजस्व रिकार्ड में वरवक्त बंदोबस्त दर्ज करा ली लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि कौन सी भूमि उनके हिस्से में आई थी जिसको राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता ने अपने नाम दर्ज करवा ली हो। खसरा नंबर 2 एवं चाह नंबर 238 प्रारंभ से ही प्रार्थीगण के पिता के नाम रही है और उनका स्वर्गवास होने पर नामांतकरण विरासत के आधार पर प्रार्थीगण के नाम स्वीकृत किया गया है। पक्षकारान के मध्य यदि फौजदारी हुई हो और इस संबंध में कोई एफ0आई0आर0 भी दर्ज करवाई हो तो वो एकमात्र रिसीवर नियुक्त किए जाने का कारण नहीं बनता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का यह मानना कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 26.08.2000 की अवहेलना की गई है जबकि 26.08.2000 की अवेहलना किया जाना अप्रार्थीगण ने साबित नहीं किया। साथ ही 26.08.2000 का आदेश विवादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत् था ना कि प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर व सहायक जिलाधीश, चौमू द्वारा पारित निर्णय क्रमशः 17.10.2002 तथा 26.08.2000 निरस्त किया जावें तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 बाबत् कायम रिसीवर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/114/2003/जयपुर** **बिरदीचन्द व अन्य बनाम रामलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि को कुर्क करने का आदेश दिया गया है कि कब्जे के बारे में दोनों पक्षों के अपने–अपने, अलग दावें हैं तथा पूर्व में भी इस भूमि को लेकर मौके पर दोनों पक्षों के बीच मुकदमें दर्ज हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में झगड़े की आशंका प्रकट की गई है, वह सही है और इसी आधार पर भूमि को कुर्क किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा काश्त की स्थिति को निर्णित नहीं करके यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, जो यथोचित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बाबत् कायम किए जाने रिसीवरी विधि अनुरूप है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावें।

हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा नंबर 21 व 238 पर रिसीवर नियुक्त करने का निवेदन किया जिस पर विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.12.2000 द्वारा वादी/अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 21 व 238 पर पुलिस थाना, चौमू को रिसीवर नियुक्त करने के आदेश पारित किए ।

विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमू के उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की जो निर्णय दिनांक 17.10.2002 द्वारा खारिज की गई है ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के संबंध में दोनों पक्षों के मध्य लड़ाई–झगड़े की संभावना बनी हुई है तथा इस संबंध में दोनों पक्षों के मध्य एफ0आई.आर0 संख्या 468/2000 अंतर्गत धारा 428, 429 दर्ज करवाई गई है । विवादित आराजियात पर दोनों पक्षों द्वारा अपना–अपना कब्जा होना बताया जा रहा है । इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/114/2003/जयपुर** **बिरदीचन्द व अन्य बनाम रामलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 26.8.2000 को पारित किया गया था जिसकी वर्तमान प्रार्थीगण द्वारा अवहेलना किया जाना भी प्रकट हुआ है । इन्हीं समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर विचारण न्यायालय ने विवादित आराजियात पर पुलिस थाना, चौमू को रिसीवर नियुक्त किया है । उक्त आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त आदेश को यथावत् रखा है जो भी विधिसम्मत् आदेश है । परिणामत् प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2022 एवं सहायक कलेक्टर, चौमू द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2000 यथावत् रखे जाते है । तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(रामदयाल मीणा)** **सदस्य**	